



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 612 राँची, शुक्रवार,

04 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-64/2019-11546 (HRMS)-- श्री रवि कुमार, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला-हजारीबाग), अंचल अधिकारी, बालूमाथ-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0-7025, दिनांक 15.11.2011 द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली, 2011 में झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अधिकतम 30 कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है, परन्तु दिनांक 08.07.2019 को एन0आई0सी0, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार, अंचल अधिकारी, बालूमाथ-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, बरियातु, लातेहार द्वारा अंचल अधिकारी, बालूमाथ के स्तर पर 30 दिनों से अधिक के 144 मामले एवं अंचल अधिकारी, बरियातु के स्तर पर 81 मामलों में जाति प्रमाण पत्र लम्बित रखा गया है। यह सरकारी आदेश की अवहेलना है। साथ ही, इससे आवेदकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है एवं इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है। पुनः एन0आई0सी0, राँची से दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त प्रतिवेदन में अंचल बालूमाथ के स्तर पर 30 दिनों से अधिक अवधि का 202 मामले एवं अंचल अधिकारी, बरियातु के स्तर पर 99 मामले लम्बित दर्शाया गया है, जबकि श्री कुमार के पत्रांक-169 एवं पत्रांक-170, दिनांक

13.07.2019 द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सभी लंबित मामलों के निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। गलत प्रतिवेदन प्रेषित कर श्री कुमार द्वारा विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

श्री कुमार का उक्त कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6482, दिनांक 13.08.2019 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-249, दिनांक 30.09.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मानवीय भूल के कारण इस तरह की गलती हो गई एवं उनके द्वारा सभी प्रमाण पत्रों का निष्पादन कर दिया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संबंधित मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारी, बालूमाथ एवं अंचल अधिकारी, बरियातु दोनों स्तर पर जाति प्रमाण पत्र के लम्बित आवेदनों की संख्या शून्य है।

अतः समीक्षोपरांत श्री रवि कुमार, अंचल अधिकारी, बालूमाथ को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVI KUMAR 110007710591	श्री रवि कुमार, झा०प्र०से० (पंचम बैच), अंचल अधिकारी, बालूमाथ को इस मामले में भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
